

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर।

SC/ST Case No-41/2021

सरकार

बनाम

शशिधर उपाध्याय उर्फ शशिकान्त उपाध्याय

[ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0-120/2021]

25.11.2021

आवेदक शशिधर उपाध्याय उर्फ शशिकान्त उपाध्याय कि ओर से प्रस्तुत आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0-120/2021, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 354(A), 379, 504, 506 भा0दं0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम तथा 3(1)(r)(s)(w1)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्रीमति साधना पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को सुना। आवेदक को न्यायायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा आवेदक की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है ना ही लंबित है आवेदक के विरुद्ध आरोप स्पष्ट नहीं है तथा आवेदक की पछ के सदस्य की ओर से पलटा मुकदमा ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0-121/2021 इस मामले के सूचक एवं अन्य पर पंजीकृत कराया गया है। आवेदक द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, आवेदक का कोई आपारिधिक इतिहास नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्तों को श्रीमान् के न्यायालय से जमानत दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन उपरोक्त का घोर विरोध किया।

सूचक हृदय नारायण राम पिता स्व0 भागीरथी राम, साकिन सुकरवलिया, थाना ईटाढ़ी, जिला बक्सर के लिखित आवेदन पर प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत की गई है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 29.03.2021 को संध्या 05:00 बजे सूचक के गाँव के काशी पाण्डेय, अमीत उपाध्याय, बुलन्दु उपाध्याय, लालू उपाध्याय, मन्दू उपाध्याय, मनोज चौबे, अनंत उपाध्याय, अरविन्द उपाध्याय आकर सूचक की बेटी-बहन को धर-पकड़ करने लगे तो सूचक ने इसका विरोध किया तो उक्त सभी लोग मारपीट करने लगे और बोले कि चमार-सियार तुमलोग ज्यादा काबिल बन रहा है। हल्ला पर इसी बीच हथियार, भाला व तलवार के साथ शशिधर उपाध्याय, उमाशंकर, वीरू उपाध्याय, शेषनाथ उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, रवि उपाध्याय, राजेन्द्र उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, निलेश उपाध्याय, मणि उपाध्याय, अमन उपाध्याय, धुनधुन उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय, झुन्ना उपाध्याय, रवि उपाध्याय व पवन उपाध्याय आये और अपने हाथ में लिये हथियार से 40-50 राउण्ड फायरिंग किये और बकिया लोग भाला, तलवार से मारपीट किये। उक्त लोगों औरतों के साथ झोंटा नोचकर मारपीट किये, जिससे रूकमनिया देवी, मौली देवी, लायो देवी, किशनावती देवी, बचमुनिया देवी, आरती देवी, तेतरी देवी को दवा के लिए सदर अस्पताल, बक्सर भेजा गया। सूचक हृदय नारायण राम, रामजी राम, राजेश राम, मुखिया राम, प्रमोद राम का कपार फट गया। रामजी राम के पॉकेट से पॉच हजार रुपया शेषनाथ उपाध्याय ने निकाल लिया तथा दशरथ राम के गर्दन से लॉकेट अरविन्द उपाध्याय निकाल लिया। उक्त लोगों ने धमकी भी दिया कि पुलिस के पास जाओगे तो पेट्रोल जलाकर फूंक देंगे।

प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, आवेदक और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध

लगातार :-

25.11.2021

कथित घटना दिनांक 29.03.2021 को सूचक के मुहल्ले में नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लेश होकर आने एवं मारपीट कर जख्मी करने तथा देशी कट्टा से करने एवं रामजी राम के पॉकेट से पाँच हजार रुपया तथा दशरथ राम के लॉकेट ले लिये जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कण्डिका-11 व 12 में राजकुमार राम एवं सुग्रीव राम ने होली के अवसर पर कीचड़ खेलने को लेकर पक्षों में विवाद होने एवं मारपीट की घटना होने की बात कहा है। वाद दैनिकी की कण्डिका-32, 33, 34, 35 व 36 में जख्मीगण हृदयनारायण राम, प्रमोद कुमार राम, राजेश राम, मुखिया राम एवं रामजी राम का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें उन्हें साधारण किस्म की ठोस पदार्थ से पहुँचाई गई चोटें पाये जाने का उल्लेख है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रस्तुत वाद का पलटा वाद 121/2021 आवेदक की पछ की सदस्य की ओर से भी इस मामले के सूचक एवं अन्य पर उसी घटना दिनांक व समय को लेकर पंजीकृत हुआ है, ऐसी स्थिति में वर्तमान स्तर पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कथित घटना का आक्रामक पक्ष कौन था। आवेदक पर हाथ में गड़ासा लेने का अभियोग है जबकि पूरे केस डायरी में कही भी यह अभियोग नहीं है कि आवेदक के द्वारा किसी को जख्म कारित किया गया है। जख्मीगण के जख्म प्रतिवेदन में तेज धारदार हथियार से चोट पहुँचाने का कही भी उल्लेख नहीं है। आवेदक का अपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त मनोज चौबे, धुनधुन उपाध्याय, पवन उपाध्याय को दिनांक 15.04.2021 एवं 06.08.2021 को बुलंदू उपाध्याय इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है तथा मानोज उपाध्याय पिता-ताकेश्वर उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय पिता-सुशील उपाध्याय, मंटू उपाध्याय उर्फ विदयाकान्त उपाध्याय पिता- ललन उपाध्याय, निलेश कुमार उपाध्याय पिता-बंशिधर उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय पिता- रामकुमार उपाध्याय, रवि रंजन उपाध्याय पिता-ललन उपाध्याय, काशी पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पिता-जवाहर पाण्डेय को दिनांक 28.08.2021 एवं बिरू उपाध्याय को दिनांक 29.10.2021 को जमानत दी गई है। ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक को मो0 10,000/- रुपये के बंध पत्र एवं उतनी ही राशि के कुल दो प्रतिमू, यथोचित न्यायशुल्क के साथ, दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि दौरान अनुसंधान न तो अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करेगा और न ही अभियोजन साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करेगा तथा दौरान विचारण मामले की प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग करेगा और अकारण अग्रिम दो नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंध-पत्र स्वतः खण्डित समझा जायेगा।

लिखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम

-सह-विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0/एस0 टी0, एक्ट),
बक्सर

पश्चात्

25.11.2021

आवेदक शशिधर उपाध्याय उर्फ शशिकान्त उपाध्याय के तरफ से मो0 10,000/- रुपये का बंध-पत्र, अडर टैकिंग, जरूरी दस्तावेज विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरान्त स्वीकृत किया जाता है। आवेदक को न्यायाधिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

लिखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम

-सह-विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0/एस0 टी0, एक्ट), बक्सर